कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी–2019–20/वो–I/2019/1–395 दिनांक 25.10.2019 द्वारा क्रम संख्या 197 पर स्थित श्री ढालचन्द मेघवाल, व्याख्याता, वरिष्ठता क्रमांक 1709 (2010–11) को पदोन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग राउमावि जिन्द्रास, आसीन्द जिला भीलवाड़ा में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री ढालचन्द मेघवाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 8375/2020 ढालचन्द मेघवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.09.2020 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी श्री ढालचन्द मेघवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावदेन में अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान की दूरी 110 किमी होने, पत्नी के राजकीय सेवा में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर ब्यावर में कार्यरत होने तथा माता–पिता की वृद्धावस्था को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि मोगर, बदनोर/राउमावि जेतगढ, बदनोर जिला भीलवाडा अथवा एसीवीईओ–प्रथम/द्वितीय जवाजा जिला अजमेर में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/ नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध चयनित प्रधानाचार्य–उमावि एवं समकक्ष कार्मिकों के पदस्थापन हेतु आयोज्य परामर्श शिविर में श्री ढालचन्द मेघवाल द्वारा सहमति पत्र के माध्यम से राउमावि जिन्द्रास, आसीन्द जिला भीलवाड़ा का स्वयं चयन किया गया था, इसलिए याचिकार्थी का यह तथ्य निराधार है कि उन्हें 110 किमी दूर पदस्थापित किया गया है।

याचिकार्थी द्वारा अपनी पत्नी के अन्यत्र पदस्थापित होने एवं माता–पिता की वृद्धावस्था के आधार पर जिस अनुतोष की मांग की गई है, उसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 (जो पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किये गए हैं) के अनुसार पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। याचिकार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। याचिकार्थी भीलवाडा जिले में ही पदस्थापित हैं किसी अन्य जिले में नहीं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। याचिकार्थी द्वारा अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण भी किया जा चुका है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्री ढालचन्द मेघवाल, प्रधानाचार्य द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/ढालचन्द/एसबीसिया/8375/2020 दिनांकः 18.09.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री ढालचन्द मेघवाल, प्रधानाचार्य राउमावि जिन्द्रास, आसीन्द जिला भीलवाड़ा।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)